न्यायालय तहसीदार नोखा

मु.नम्बर :–06 / 2019

स्टेट जरिये पटवारी पांचु उत्तरी बनाम श्रीमती फूसी पत्नि हुकमाराम कौम जाट
निवासी पांचु

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 08.7.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचु उत्तरी ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि गैर सायला फूसी पत्नि हुकमाराम जाट ने शरहद रोही पांचु उत्तरी के खसरा नम्बर 64 गैर मुमकिन रास्ता की 0.14 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता बन्द कर दिया है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में उक्त अतिक्रमण को पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बताया है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट के साथ तत्कालीन तहसीलदार द्वारा मुर्तिब मौका फर्द बेदखली दिनांक 05.10.2017 की छाया प्रति पेश की।

प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायला को नोटिस जारी किया गया। गैरसायला ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया , जिसमें मौके पर रास्ता नहीं रोकने बाबत उल्लेख किया है। और निवेदन किया है कि आईदा तारीख पेशी पर मौके स्थल के साक्ष्य पेश कर दिये जायेंगे । गैर सायला के जवाब में वर्णित तथ्यों की तथ्यात्मक जांच हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पांचु को लिखा गया। निरीक्षक ने जांच रिपार्ट पेश की जो शामिल मिसल है। गैरसायला की ओर से कोई अतिरिक्त साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायला ने खसरा नम्बर 64 मी. गैरमुमकिन रास्ता के 0.14 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण किया है। गैरसायला ने जवाब में उक्त रास्ते पर अतिक्रमण नहीं करना बताया है, साथ ही अपने खेत में रास्ता होने से ही इन्कार किया है। गैरसायला के जवाब में वर्णित तथ्यों का परीक्षण भू–अभिलेख निरीक्षक पांचु से करवाया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि खसरा नं. 64 मी. रकबा 0.14 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ते में मौके पर फूसी पत्नि हुकमाराम जाट ने मूंगफली की फसल काश्त कर रास्ता बंद कर रखा है। निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि रास्ते पर उक्त रकबे पर से पूर्व में भी अतिक्रमण हटवाया गया था। अप्रार्थिया ने इस वर्ष पुनः अतिक्रमण कर रास्ते को बंद कर दिया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करना बताया है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट फर्द बेदखली की छाया प्रति जो स्वयं तत्कालीन तहसीलदार द्वारा मुर्तिब की गई है, में दिनांक 5.10.2017 को गैरसायला फूसी पत्नि हुकमाराम को खसरा नम्बर 64 मी. रकबा 0.14 हैक्टर रास्ते पर से बेदखल कर रास्ता खुलवाया गया था। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि गैरसायला ने पूर्व में हटाये गये अतिक्रमण वाले रास्ते की भूमि पर इस वर्ष पुनः अतिक्रमण कर लिया है।

पटवारी की रिपोर्ट, भू–अ.निरीक्षक की जांच रिपोर्ट एवं पूर्व पत्रादि से यह साबित हो जाता है कि गैरसायला उक्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अतः आदेश दिया जाता है कि गैरसायला फूसी पत्नि हुकमाराम जाट निवासी पांचु को जाता है।

भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना राशि वसूल करने हेतु लिखा जावे। जुर्माना राशि की मांग कायमी हेतु पत्रावली तहसील राजस्व लेखाकार को भेजी जावे ।

गैरसायला को हस्तगत गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर से 5.10.2017 को बेदखल कर दिया गया था, फिर भी गैरसायलालने हठधर्मिता अपनाते हुए रास्ते की भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैरसायला फूसी पत्नि हुकमाराम जाट निवासी पांचु को 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। वारंट गिरफ्तारी जारी होकर थानाधिकारी पुलिस थाना पांचु को पालनार्थ भेजा जावे।

पत्रावली बाद तख्मील एवं तामील हाने पर पेश हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

8/7/19

(द्वारका प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार (राजस्व)
नोखा

तहसीलदार (राजस्व)
नोखा जिला बीकानेर